

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / /2017

संख्या-2/एल-41/2017- /स्वा० डा० राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को दिनांक-17.12.2016 से 15.02.2017 तक उपभोगित अवकाश को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना के अवकाश आदेयता प्रतिवेदन सं०-252(25) दिनांक-19.04.2017 द्वारा उपलब्ध अवकाश आदेयता के आधार पर 122 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश को पूर्ण वेतन अवकाश के रूप में 61 दिनों का रूपांतरित अवकाश के रूप में बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-307(5) दिनांक-18.3.2017 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-2/एल-41/2017-

1117(2)

पटना, दिनांक 14/12/2017

**प्रतिलिपि,** महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि,** निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि,** आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

A